दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 20 नवंबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 53

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। विदेशी शासन के अत्याचारों के खिलाफ उनके साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानी देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। कांग्रेस नेता खड़गे ने भी रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का जश्न मना सकें -रानी लक्ष्मीबाई जी।

पीएम मोदी, खड़गे, सोनिया व राहुल ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं और अन्य लोगों ने भी पूर्व प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री थीं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह प्रधानमंत्री बनीं। 19 नवंबर 1917 को जन्मीं इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री रहीं।

बंगाल में पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या करने के बाद शख्स ने की आत्महत्या

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। उसके शव के पास से मिले एक सुसाइड नोट के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के चलते इस अपराध को अंजाम दिया। घटना उत्तर 24 परगना के खरदा में हुई। हत्यारे पति की पहचान बृंदाबन करमाकर के रूप में हुई है, जो पेशे से कपड़ा व्यापारी है। सुसाइड नोट के अनुसार, पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चलने के बाद करमाकर ने सबसे पहले अपनी पत्नी को आगाह किया। सुसाइड नोट के अनुसार, उसने रिश्ते से बाहर आने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए करमाकर ने तेज धारदार वाले हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में सोचकर करमाकर ने आत्महत्या करने से पहले, उसी हथियार से अपनी बेटी (16) और बेटे (9) की हत्या कर दी। पुलिस सुसाइड नोट की सत्यता की जांच कर रही है।

16 साल की लड़की से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका

लखनऊ (आरएनएस)। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने एक शख्स को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया है और उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। मामला 2 साल पुराना है, जिसमें एक शख्स ने नाबालिग लड़की को किडनैप करने के बाद उसका रेप किया था। अभियोजन पक्ष ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़ित के परिवार ने थाना रानीगंज पुलिस को दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 नवंबर, 2021 को उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से लौट रही थी तो सोनू गुप्ता ने उसे पकड़कर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बाद में उससे रेप किया। पीड़िता ने घर वापस आने पर परिवार वालों को आपबीती सुनाई और कहा कि सोनू गुप्ता ने उसे घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता के खिलाफ तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

जलवायु संकट से जूझ रही दिल्ली : गंभीर
एक्यूआई, पानी की कमी और प्रचंड गर्मी का कहर

नई दिल्ली (आरएनएस)। जहां वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों से जूझ रहा है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली खुद को बढ़ते पर्यावरणीय संकट में सबसे आगे पाती है। यह शहर, जो अपनी जीवंत संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, अब जलवायु संबंधी असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत है।

दिल्ली की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, हवा की गिरती गुणवत्ता। यह शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां के निवासी खतरनाक स्तर के कणों से जूझ रहे हैं।

सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-4, औद्योगिक गतिविधि, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कई उपाय लागू किए हैं। लेकिन, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक कठिन चुनौती बन गई है।

बढ़ते तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न ने समस्या और बढ़ा दिया है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी और अप्रत्याशित मानसून देखा जा रहा है। तापमान बढ़ने से आम से लेकर खास तक प्रभावित हो रहे हैं।

पूर्व वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् चंद्र वीर सिंह के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। वर्षा के बदलते पैटर्न और पानी की बढ़ती मांग ने जलापूर्ति के लिए अहम चुनौतियां खड़ी की हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार, वर्षा जल संचयन और कुशल वितरण प्रणाली जैसे स्थायी समाधान तलाशने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन दिल्ली की जलवायु कार्य योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। शहर जागरूकता अभियानों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। पुनर्चक्रण पहल, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देना इस व्यापक रणनीति के प्रमुख घटक हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, अधिकारी स्थायी समाधान तलाश रहे हैं और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं।

वनीकरण अभियान, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने जैसी पहल गति पकड़ रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नागरिक सहभागिता अभियानों का उद्देश्य निवासियों को जलवायु परिवर्तन को कम करने में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।

हालांकि, विशेषज्ञ एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें न केवल सरकारी पहल बल्कि व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो।

जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली राज्य कार्य योजना पर इस साल जून में जारी मसौदे के अनुसार, 2050 तक, शहर को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण 2.75 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।

भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत की, जिससे राज्य सरकारों को एनएपीसीसी में तय रणनीतियों के तहत अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के रूप में जाना जाता है।

शहर में जल सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे को संबोधित करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की जरुरत पर बल दिया।

इजरायल-हमास युद्ध : भारत ने दूसरी बार फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए भेजी राहत सामग्री

नईदिल्ली (आरएनएस)। इजरायल-हमास युद्ध के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर गाजा पट्टी में प्रभावित फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए बड़ी मदद भेजी है।रविवार को नई दिल्ली से भारतीय वायुसेना का दूसरा सी-17 विमान 32 टन की सहायता सामग्री लेकर मिस्र के एल-अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ।इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने युद्ध प्रभावित फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि भारत आगे भी प्रभावित लोगों की मदद करता रहेगा।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी।उन्होंने लिखा, हम फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। भारतीय वायुसेना का दूसरा सी-17 विमान युद्ध प्रभावित फिलिस्तीनियों के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल-अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है।इस राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, कंबल, टैंट, कपड़े सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

अडाणी-हिंडनबर्ग मामला : समय पर जांच पूरी न करने पर सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नईदिल्ली (आरएनएस)। अडाणी समूह और हिंडनबर्ग मामले में अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ जांच की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी ने कोर्ट द्वारा तय समय में हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है, जो कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले की जांच के लिए सेबी पहले 2 महीने का समय दिया था, जो 2 मई को समाप्त हो गया था।हालांकि, बाद में स्थक्चढ़ढ ने 6 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने जांच की समयसीमा 14 अगस्त कर दी थी।29 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब याचिकाकर्ता ने स्थक्चढ़ढ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। उन्होंने ओसीसीआरपी रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की मांग की है।बता दें कि ओसीसीआरपी ने अडाणी समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदने और स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर निवेश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अडाणी समूह ने आरोपों को खारिज किया था।

अगस्त में ने दावा किया था कि सेबी ने अडाणी समूह से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है।इसके लिए सेबी ने अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संदिग्ध लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक विवरण और अनुबंध समेत तमाम दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई थी।हालांकि, ये रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।

हैदराबाद अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 , बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार

हैदराबाद (आरएनएस)। हैदराबाद के एक अपार्टमेंट परिसर में 13 नवंबर को लगी आग की घटना में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

नामपल्ली पुलिस ने घटना के लगभग एक सप्ताह बाद बाजारघाट में बालाजी रेजीडेंसी के मालिक रमेश कुमा जायसवाल को गिरफ्तार किया।

चार मंजिला इमारत के स्टिल्ट फ्लोर में रखे केमिकल ड्रमों में आग लग गई थी, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसी इमारत के निवासी मोहम्मद अहमद की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, लगभग 09:20 बजे उसने बाहर आ जाओ की चीख सुनी और देखा कि बालाजी रेजीडेंसी के सामने रखी एक कार में आग लगी हुई थी। कुछ मिनटों के बाद रेजिन के ड्रम फट गए और रेजिन फैल गया जिसके कारण आग की लपटें ऊंची उठी। वह भी जोर से चिल्लाया और पहली मंजिल पर रहने वाला परिवार बाहर आ गया। आग की लपटें ज्यादा बढ़ने से अन्य लोग बाहर नहीं निकल सके। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अंदर गए और पाया कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले नौ लोग जलने और दम घुटने के कारण मर गए।

शनिवार को छात्र तल्हा नसर (17) की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके चलते मरने वालों की संख्या 10 हो गई।

पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) एम. वेंकटेश्वरलु पुलिस के मुताबिक, आरोपी रेजिन खरीदकर थोक और खुदरा कारोबार कर रहा है। वह वितरकों से मटेरियल प्राप्त करता था और अगले दिन अपने ग्राहकों को सप्लाई करता था। अधिकांश लोड रात में आता है, और आरोपी बालाजी रेजीडेंसी के स्टिल्ट फ्लोर पर लोड का भंडारण कर रहा था, जिसे उसके द्वारा गोदाम के रूप में उपयोग किया जाता था।

कई बार लोगों ने आरोपी से आग्रह किया था कि रेजिन ड्रम और डिब्बे न रखें, लेकिन वह नहीं माना।

पुलिस अधिकारी ने कहा, अपनी सुविधा के लिए, आरोपी हमेशा इमारत के स्टिल्ट पर रेजिन के ड्रम और डिब्बे अवैध रूप से रखता था, यह जानते हुए कि रासायनिक सामग्री वहां रहने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही थी।

11 नवंबर की शाम को आरोपी को 35 किलो के 32 डिब्बे मिले, जिनमें रेजिन केमिकल था और स्टिल्ट फ्लोर में रखा हुआ था। 13 नवंबर को, इमारत के दक्षिण की ओर से भीषण आग लग गई, जहां आरोपियों ने रेजिन के ढेर सारे डिब्बे फेंक दिए थे।

जांच के दौरान इमारत में रखे 30 ड्रम और रेजिन केमिकल के 88 डिब्बे भी जब्त कर लिए गए और नमूनों को रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में भेज दिया गया। इमारत से दो डीवीआर भी जब्त किए गए और डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए एफएसएल को भेजे गए।

राजस्थान में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जा रहे छह पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत

जयपुर (आरएनएस)। झुंझुनू में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जा रहे छह पुलिसकर्मियों की रविवार को तडक़े चुरू जिले में एक सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई।

पुलिसकर्मियों की कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसा जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया।

नागौर के खींवसर थाने के छह पुलिसकर्मी और महिला थाने की एक पुलिसकर्मी की झुंझुनू में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ड्यूटी लगी थी। पुलिसकर्मी जाइलो कार में झुंझुनूं जा रहे थे, तभी सुजानगढ़ सदर थाने की कानूता चौकी के पास नेशनल हाईवे 58 पर ट्रक से टक्कर हो गई।

सुबह साढ़े पांच बजे हुए हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। मौके पर ही मरने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान खींवसर थाने के एएसआई रामचन्द्र, कांस्टेबल कुंभाराम, सुरेश मीना, थानाराम और महिला थाने के कांस्टेबल महेंद्र के रूप में हुई है। हादसे में खींवसर थाने के हेड कांस्टेबल सुखाराम व कांस्टेबल सुखाराम घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर ले जाते समय कांस्टेबल सुखाराम की भी मौत हो गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है।

21 नवंबर से वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा अहमदाबाद

अहमदाबाद (आरएनएस)। अहमदाबाद ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 (विश्व मत्स्य पालन भारत सम्मेलन 2023) में मत्स्य पालन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और राजनयिकों की वैश्विक सभा की मेजबानी करेगा।

यह कार्यक्रम 21 और 22 नवंबर को निर्धारित है, जो विश्व मत्स्य पालन समारोह के साथ मेल खाएगा। इसका आयोजन भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने, नवाचारों को उजागर करने और मत्स्य पालन में टिकाऊ भविष्य के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।

फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, ग्रीस, स्पेन, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सहित दस से अधिक देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। सम्मेलन में 50 से अधिक विदेशी राजनयिक वर्चुअली शामिल होंगे। एशियाई विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और समुद्री प्रबंधन परिषद (एमएससी) उपस्थित लोगों में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। यह आयोजन स्टार्टअप, मत्स्य पालन संघों और प्रसंस्करण उद्योगों सहित 210 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को अपने उत्पादों, सफलता की कहानियों और अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा।

माफिया के गुर्गों ने हड़पी सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति

❐ अशरफ की पत्नी जैनब सहित साथ पर मुकदमा दर्ज

प्रयागराज (आरएनएस)। माफिया अतीक और अशरफ के गुर्गों ने प्रयागराज में पूरामुफ्ती इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की जमीन हड़प ली। इस जमीन पर प्लाटिंग व निर्माण कर अशरफ की ससुरालवालों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। वक्फ बोर्ड के केयरटेकर की शिकायत पर शनिवार को अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा, अशरफ के दोनों सालों समेत सात लोगों के खिलाफ पूरामुफ्ती में फर्जीवाड़ा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें से एक आरोपी सद्दाम को कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अशरफ की पत्नी जैनब फरार है।

एफआईआर के मुताबिक पूरामुफ्ती के सल्लाहपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड 67 की संपत्ति है। सैयद मोहम्मद एजाज अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपनी कई बीघा जमीन वक्फ को दी थी। इसका मुतवल्ली मो. असियम है। मुतवल्ली ने वक्फ का केयरटेकर माबूद अहमद को बनाया है। कुछ समय पहले केयरटेकर माबूद बीमार हो गया और इलाज के लिए शहर के बाहर चला गया।

अतीक अशरफ के जिंदा रहते अशरफ की पत्नी जैनब, उसका साला सद्दाम व जैद, सिवली प्रधान, तारिक और मुतवल्ली असियम व उसकी पत्नी जिन्नत ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। इकरारनामा भी तैयार कर लिया था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद नकदी जुटाने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर निर्माण कराकर उसे दुकानदारों को बेचना शुरू दिया। इलाज के बाद जब केयरटेकर माबूद अहमद लौटा तो दंग रह गया। उसने कमिश्नर और डीएम से शिकायत की। अतीक और अशरफ के गुर्गों के साथ साठगांठ करके सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली मो. असियम ने करोड़ों की जमीन को हड़पा और बेचा। केयरटेकर माबूद अहमद ने जब इसका विरोध किया तो पहले उसे लालच दिया गया और फिर हत्या की धमकी दी गई। आरोपी मुतवल्ली और उसकी पत्नी ने धमकाया कि गाड़ी चढ़वा ऐप पर पढ़ें हत्या करा देंगे। लेकिन माबूद उनसे डरा नहीं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों से मदद मांगी। आखिर में कूटरचित दस्तावेजों की जांच में उसकी जीत हुई और सच्चाई सामने आने पर उसकी शिकायत पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। केयरटेकर ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है।